न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

डिनेश कुमार बनाम राजीव मोहम्मद, वगै

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज केस नं. - 125/2023 दावा
19.12.2024	पत्रावली वास्ते आदेश/निर्णय हेतु पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चूकी है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सहायक कलक्टर श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:49:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक), श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
125 / 2023	2023 / 239	02.08.2023	19.12.2024 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. दिनेश कुमार पुत्र राधेश्याम आयु 52 वर्ष
2. सुरेश कुमार पुत्र मुरलीधर आयु 63 वर्ष

समस्त जाति महाजन निवासीगण ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

—— वादीगण——

बनाम्

1. अजीज मोहम्मद पुत्र छोटू खां आयु 60 वर्ष
2. रमजी पत्नी मुन्ना खां आयु 75 वर्ष

समस्त जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:49:38 IST
Reason: SelfAttested

—प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपस्थित –

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री गिरिराज शर्मा एड0 प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 अभिभाषक

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से

दावा बाबत बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1747 रकबा 1.33 हैक्टर तन ग्राम अजीतगढ पटवार हल्का अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। जिसमें हिस्सा 1/3 का वादी संख्या 1 व हिस्सा 1/3 का वादी संख्या 2 व हिस्सा 1/12 का प्रतिवादी नम्बर 1 व हिस्सा 1/4 का प्रतिवादीया नम्बर 2 खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार है। उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसका कानूनी रूप से कोई विधिक विभाजन नहीं हुआ है। उक्त भूमि अजीतगढ से गढटकनेत जाने वाली मुख्य सडक से उत्तरी तरफ स्थित हैं। मौके पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 का कुल हिस्सा 1/3 रकबा 0.44333 हैक्टर पश्चिमी तरफ का व वादीगण का कुल हिस्सा 2/3 रकबा 0.88666 हिस्सा पूर्वी तरफ का वादीगण के हक हक हिस्से व बंटवारदे में मौके पर अर्सा करीबन 34–35 वर्षो पूर्व जिसकी लिखावट दिनांक 14.06.1989 को हुयी थी। उसी अनुसार बंटवारा होकर पक्षकारान द्वारा मौके पर अपनी–अपनी सीवं–नींव कायम कर वादीगण में अपनी बंटवारे की भूमि पर सुरक्षार्थ पुख्ता दीवार बनाकर अपनी भूमियों को सीमाओं से रक्षित व सुरक्षित कर रखा है। उपरोक्तानुसार वर्णित भूमि का अलग–अलग बंटवारा विभाजन किया जाकर अलग–अलग बटा नम्बर [illegible] अलग–अलग खातेदारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:49:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) ... (नीमकाथाना)

उपरोक्तानुसार दर्ज किया जाना न्यायोचित है ताकि प्रत्येक खातेदार अपनी–अपनी खातेदारी की भूमियों का समुचित रूप से विकास उपयोग–उपभोग कर सके। वर्तमान समय मे भूमियों में वाद–विवाद व झगडे आदि होने की प्रबल आशंका रहती है इसी कारण संयुक्त खातेदारी की भूमियों का विधिक रूप से विभाजन होकर अलग–अलग खातेदारी दर्ज कराने की आवश्यकता होने से वादीगण द्वारा यह वादपत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। संयुक्त खातेदारी की भूमियों का बिना विधिक विभाजन कराये यदि भूमियों का अन्तरण,रहन व अन्य किसी भी तरीके से अन्तरण आदि कर भूमियों को खुर्द–बुर्द नही किया जावे इस बाबत वादीगण प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने के विधिक अधिकारी है। वादीगण ने पूर्व में प्रतिवादीगण का भूमि का बंटवारा कराकर अलग–अलग बटा नम्बर डालने बाबत कहां तो पूर्व में हां करते रहे व टालते रहे परन्तु अर्सा करीब 10 दिन पूर्व वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहा तो मौजूद प्रतिवादीगण ने आनाकानी करते हुये इंकार कर दिया इस कारण मजबूर होकर वादीगण को यह वादपत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। बिनाय दावा प्रतिवादीगण द्वारा खातेदारी दर्ज कराने हेतु दिनांक 15.07.2023 को इंकार होने से यही बिनाय दावा पैदा होकर दावा पेश करना लाजिम आया। उपरोक्त वर्णित भूमियों के संबंध में वादीयागण ने अनुतोष इस प्रकार चाहा है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1747 रकबा 1.33 हैक्टर तन ग्राम अजीतगढ पटवारी हल्का अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 का वादी संख्या 1 का हिस्सा 1/3 व वादी संख्या 2 का हिस्सा 1/3 कुल किता 2/3का कुल रकबा 0.88666 हैक्अर पूर्वी तरफ का वादीगण के नाम अलग से बटा नम्बर डालकर खातेदारी अलग व प्रतिवादी नम्बर 1 का हिस्सा 1/12 व प्रतिवादी नम्बर 2 का हिस्सा 1/4 कुल 1/3 हिस्सा का रकबा 0.4433 हैक्इअर पश्चिमी तरफ का प्रतिवादीगण नमबर 1 व 2 के नाम अलग–अलग बंटवारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस मोके पर पर्व से हुये विभाजन अनुसार अलग–अलग बटा नम्बर डाले जाकर अलग–अलग खातेदारी उपरोक्तानुसार दर्ज की जाकर अलग–अलग लगान कायम किया जाकर नक्शे में

सहायक कलक्टर (फा.ट्रै.) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:49:38 IST
Reason: SelfAttested

तरमीम किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या–3 की रजिस्टर्ड डाक से सम्यक तामील होने के बावजूद कोई हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने व प्रतिवादी संख्या–1 व 2 की ओर से श्री गिरिराज शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा मय जवाब दावा पेश किया, जो शामिल पत्रावली किये गए। वकील वादीगण ने प्रकरण बंटवारा से संबंधित होने से प्रकरण मे पक्षकारान के विधिक हिस्से अनुसार विधिक विभाजन किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया। प्रकरण में वकील वादीगण ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वादीगण के पक्ष में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने तथा प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने बाबत् निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने " वादपत्र में उपरोक्त वर्णितानुसार भूमि का बंटवारा मौके पर चारों भूजाओं का नापजोख करके संबंधित पक्षकार के हिस्से में आने वाले रकबे को आनुपातिक फ्रन्टेज सहित मौके पर सीमांकित करते हुए बंटवारा जाता है है तो प्रतिवादीगण इसमें सहमत है" वादपत्र के बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री किये जाने हेतु बहस बहुपक्षीय सुनी गई। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान की सहमति पर प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मॅगवाये जाने हेतु न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 16.01.2024 को जारी की गई थी।

प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 16.01.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/–51/2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रस्तावित की जारी की जाकर जरिये पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:49:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

★ सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) ★ (नीमकाथाना)

क्रमांक 201 / रीडर / 2024 दिनांक 01.02.2024 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग-अलग रंगो मे तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई थी। जिसकी पालना मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक 441 / भू.अ. / 2023 दिनांक 23.02.2024 के द्वारा प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली संलग्न है।

प्रकरण मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट से वकुलाय उभय पक्षकारान ने सहमत होते हुए उसके अनुसार वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन वकील वादीगण ने किया। वकुलाय उभय पक्षकारान ने प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व कुर्रेजात रिपोर्ट में अंकित विवरणानुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना पत्रावली की आदेशिका पर अंकित किया। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान की सहमति के आधार पर प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ।

—:क्रियात्मक आदेश :—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय [illegible] क्रमांक / 441 / भू.अ. / 2023 दिनांक 23.02.2024 में व[illegible] नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार [illegible]या जाता है:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:49:38 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वर्तमान जमाबंदी के अनुसार ग्राम अजीतगढ का विभाजन प्रस्ताव :–

वर्तमान जमाबंदी अनुसार विभाजन					
खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
003	1. अजीज मोहम्मद पुत्र छोटू खां हि. 1/12 जाति मनिहार सा. देह खातेदार 2. दिनेश कुमार पुत्र राधेश्याम हिस्सा 1/3 जाति महाजन सा. देह खातेदार 3. रमजी पत्नि मुन्ना खां हि. 1/4 जाति मनिहार सा. देह खातेदार 4. सुरेश कुमार पुत्र मुरलीधर हिस्सा 1/3 जाति महाजन सा. देह खातेदार	1747	1.33	बा.2 0.95 बा.3 0.38	3.75 0.75
		कुल किता–1	1.33		4.50

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:49:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

मौके के अनुसार ग्राम अजीतगढ़ का विभाजन प्रस्ताव :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	वादी 1. दिनेश कुमार पुत्र राधेश्याम हिस्सा 1/2 जाति महाजन सा. देह खातेदार 2. सुरेश कुमार पुत्र मुरलीधर हिस्सा 1/2 जाति महाजन सा. देह खातेदार	1747/3	0.8875	बा.2 बा.3	3.00
		कुल किता–1	0.8875		3.00
	प्रतिवादी 1. अजीज मोहम्मद पुत्र छोटू खां हि. संपर्ण जाति मनिहार सा. देह खातेदार	1747/2	0.1100	बा.3 बा.2	0.37
		किता–1	0.1100		0.37
	रमजी पत्नि मुन्ना खां हि. संपूर्ण जाति मनिहार सा. देह खातेदार	1747/1	0.3325	बा.3 बा.2	1.13
		किता	0.3325		1.13

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:49:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये कमांक / 441 / भू.अ. / 2023 दिनांक 23.02.2024 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिकी का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:49:38 IST
Reason: SelfAttested